मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 10, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, -

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2010-2011 की द्वितीय छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण, तथा

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2010-2011, तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2010-2011

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम मोरावन में डकैतों का आतंक होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, रायसेन-सागर मार्ग पर बिना परमिट के भारी वजन का ट्रॉला पुल से गुजरने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्रीमती ललिता यादव, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) श्री मोती कश्यप, सभापति, याचिका समिति का पन्द्रहवां एवं सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री विश्वामित्र पाठक, सदस्य, नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम कुमरौआ में आंगनवाड़ी भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम अमोला घाटी से ग्राम छान तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ग) नरवर की आर.बी.सी. कैनाल की मरम्मत कराये जाने,

(घ) ग्राम मगरोनी के पुराने बस स्टैण्ड से प्रजापति मोहल्ले तक सी.सी. रोड बनाये जाने, तथा

(ङ) ग्राम डोंगरपुर से डबरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम अर्चरा से घूंघटा तक मार्ग का निर्माण किये जाने,

(ख) झांसी टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर पुलिया एवं सड़क निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम वैदऊ से बछोड़ा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल जिले में -

(क) नरेला क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के समीप खेल मैदान बनाये जाने,

(ख) वार्ड क्र. 57 में सड़क एवं नाले का निर्माण कराये जाने,

(ग) वार्ड क्र. 57 रचना नगर की सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किये जाने,

(घ) विकास नगर के नालों का चेनलाइजेशन कराये जाने,

(ङ) वार्ड क्र. 43 की सड़कों एवं नाली निर्माण किये जाने,
(च) वार्ड क्र. 36 गुरूनानकपुरा की सड़क एवं नालियों का निर्माण किये जाने,
(छ) वार्ड क्र. 38 खटीक कालोनी की सड़कों एवं नालियों का निर्माण किये जाने,
(ज) वार्ड क्र. 37 महामाई बाग की नाली में एवं सड़कों का निर्माण किये जाने, तथा
(झ) वार्ड क्र. 35 शंकराचार्य नगर की सड़कों एवं नाली का निर्माण किये जाने

(4) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के -
(क) ईश्वर नगर में पुलिया निर्माण किये जाने,
(ख) अनुसूचित जनजाति बस्ती में 5 स्ट्रीट लाइट पोल लगाये जाने,
(ग) अनुसूचित जनजाति बस्ती में नाली निर्माण किये जाने,
(घ) अनुसूचित जनजाति बस्ती में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(ङ) अनुसूचित जनजाति का सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
(च) सुदामा नगर के पीछे सी.सी. रोड निर्माण किये जाने, तथा
(छ) आनंद नगर कालोनी में कान्वेन्ट स्कूल तक रोड का डामरीकरण किये जाने,

(5) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य, राजगढ़ जिले के जिले के -
(क) ग्राम कांवरिया के मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(ख) पचोर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम सण्डावता में पुलिस चौकी खोली जाने, तथा
(घ) ग्राम रामपुरिया भण्डावद तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(6) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के -
(क) ग्राम आगासौद से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक रोड निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम करोदा चौराहे पर यात्री प्रतिक्षालय बनाये जाने,
(ग) बीना के बड़ा मंदिर के समीप भूमि पर पर्यटन स्थल एवं पार्क बनाये जाने,
(घ) बीना नगर के रिपरिया वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) बीना शहर के हनुमान मंदिर से जागेश्वर मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. मंत्रिमंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव ...(क्रमशः)

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.
"यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यरत मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है.".

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

1 घन्टा (1) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री लोक सेवा प्रबंधन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (5) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 नवम्बर, 2011